प्रकरण संख्या 27/2024 श्रीमती द्रोपती बनाम श्रीमती भागवन्ती देवी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.09.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व श्रीमती इन्द्रा देवी ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देवगढ़ में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की शामलाती खातेदारी की आराजी नंबर 1962, 5498, 5499, 5592 कुल किता 4 रकबा 0.9100 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात में वादी संख्या 1 का 1/39 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/39 हिस्सा दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 14 का राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी अनुसार हिस्सा दर्ज है। अतः विवादित आराजियात का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से व कब्जे अनुसार विभाजन विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने वाद वर्णित आराजियात का कब्जे व हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने में अपनी सहमति प्रकट की, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.05.2024 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 01.06.2024 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर उनकी ओर से अधिवक्ता श्री पुष्कर पण्डया उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि दिनांक 17.02.2024 को वादी संख्या 1 इन्द्रा देवी की मृत्यु हो चुकी थी, फिर भी उसके वारिसान को कायम मुकाम नहीं बनाया, जिससे उक्त निर्णय निरस्त योग्य है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 4 नाथूसिंह की मृत्यु 15 वर्ष पूर्व तथा प्रतिवादी संख्या 12 श्रीमती सूरजबाई की मृत्यु [illegible]5 वर्ष पूर्व हो चुकी है। वादीगण ने जानबूझकर मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:14 IST
Reason: SelfAttested

है। प्रकरण में अपीलान्ट की तामिल नहीं हुई है, यदि अपीलान्ट को सम्मन मिलता तो वह अवश्य जवाबदावा प्रस्तुत करता। उन्होंने यह भी बताया कि उक्त प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर दी गयी, किन्तु प्रारम्भिक डिक्री जारी होने के बाद वादी के अधिवक्ता द्वारा वाद विड्रो करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिससे अधीनस्थ न्यायालय ने वाद इसी स्तर पर खारिज करते हुए पूर्व में जारी प्रारम्भिक डिक्री को अपास्त कर दिया है, किन्तु जिस विड्रो प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया गया है, उस पर वादीगण के हस्ताक्षर नहीं हैं, जबकि वाद पत्र पर दोनों वादीगणों के हस्ताक्षर हैं। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विड्रो बाबत् विधिक प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण में विधिवत सुनवाई कर विधिक प्रक्रिया के तहत विड्रो प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि रेस्पोन्डेन्ट/वादी द्वारा वाद को विड्रो कर लिये जाने उक्त वाद का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का कोई आधार नहीं रह जाता है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। दिनांक 13.05.2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है, वह प्रतिवादी अधिवक्ता की सहमति के आधार पर जारी की गयी है, जबकि अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किसी प्रकार की सहमति दी गयी हो, ऐसी कोई साक्ष्य रेकार्ड पर नहीं है तथा अपीलान्ट को बिना सुने उक्त प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है, जिससे प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13.05.2024 विधि सम्मन नहीं होने से अपास्त योग्य है।

जहां तक वाद विड्रो करने का प्रश्न है, जिस विड्रो प्रार्थना पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को खारिज करते हुए अपने द्वारा पूर्व में जारी प्रारम्भिक डिक्री को [illegible] करने का आदेश पारित किया है, उक्त विड्रो प्रार्थना पत्र पर वादी [illegible] देवी व भागवन्ती देवी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:14 IST
Reason: SelfAttested

के हस्ताक्षर नहीं हैं, जबकि वाद पत्र दोनों वादीगण के हस्ताक्षर हैं, ऐसी स्थिति में बिना वादीगण के हस्ताक्षर के मात्र अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विड्रो प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद को विड्रो किया जाना विधि सम्मत नहीं है। इसके अलावा प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि वादी संख्या 1 इन्द्रा देवी की मृत्यु हो चुकी थी, तो उसके विधिक वारिसान कायम मुकाम कर एवं उन्हें सुनकर निर्णय किया जाना आवश्यक था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये उक्त निर्णय पारित किया गया है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.06.2024 प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 121/2023 में पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13.05.2024 एवं तत्पश्चात् वाद में विड्रो बाबत् पारित निर्णय दिनांक 07.06.2024 अपास्त किये जाते हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर तथा वाद विड्रो बाबत् विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 04.11.2024 को उपस्थित रहे। निर्णय आज दिनांक 25.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:14 IST
Reason: SelfAttested